अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015,

सं0 5/2015- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पान मसाला पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पान मसाला पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पान मसाला पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2008 में,--

(i) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"4. उत्पादन से सुसंगत कारक –विनिर्माता के कारखाने में पैंकिंग मशीनों की संख्या तथा वह अधिकतम पैंकिंग गति जिस पर ऐसी मशीनों का विभिन्न खुदरा विक्रय कीमत के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए प्रचालन किया जा सकता है, अधिसूचित मालों के उत्पादन के लिए सुसंगत कारक होंगे ।"

(ii) नियम 5 में,--

(क) "अधिसूचित मालों की मात्रा" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "उक्त सारणी" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"अधिसूचित मालों की मात्रा, जिनका खुदरा कीमत नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट है, ऐसी प्रचालित पैंकिंग मशीन के उपयोग द्वारा उत्पादित, जिसकी ऐसी अधिकतम पैकिंग गति, जिस पर उसका प्रचालन अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए किया जा सकता है, नीचे दी गई सारणी के यथास्थिति, स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट है, प्रति मास वह मानी जाएगी,

जो उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रविष्टि के समान है" ;

(ख) सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

		प्रति प्रचालनकारी पैंकिंग मशीन प्रति मास पाउचों की संख्या		
क्रम सं.	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मिनट 300 पाउचों तक	प्रति मिनट 301 से 750 पाउचों तक	प्रति मिनट 751 और उससे अधिक पाउच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1.00 रुपए तक	6864000	11232000	24960000
2.	1.01 रुपए से 1.50 रुपए तक	6864000	11232000	24960000
3.	1.51 रुपए से 2.00 रुपए तक	6520800	10670400	23712000
4.	2.01 रुपए से 3.00 रुपए तक	6520800	10670400	23712000
5.	3.01 रुपए से 4.00 रुपए तक	6314880	10333440	22963200
6.	4.01 रुपए से 5.00 रुपए तक	6314880	10333440	22963200
7.	5.01 रुपए से 6.00 रुपए तक	6314880	10333440	22963200
8.	6.00 रुपए से अधिक	6177600	10108800	22464000

(iii) नियम 6 में,--

(क) उपनियम (1) में के खंड (x) में, "और संख्या", शब्द के पश्चात् "और उपरोक्त खंड (vii) के अनुसार ब्यौरे" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में, “घोषणा का अनुमोदन”, शब्द के पश्चात् “जिसके अंतर्गत वह अधिकतम पैंकिंग गति है जिस पर उसके कारखाने में उपलब्ध प्रत्येक पैंकिंग मशीन का प्रचालन विभिन्न खुदरा विक्रय कीमत के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए किया जा सकता है” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उपनियम (3) में,--

दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि 1 मार्च, 2015 से अवधि के लिए उत्पादन की वार्षिक क्षमता का पुन: अवधारण, यथास्थिति, उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पान मसाला पैंकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2015 के प्रवृत्त होने से तीन कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा ।”;

(घ) उपनियम (6) में, “विद्यमान खुदरा विक्रय कीमत” शब्दों के पश्चात् “या किसी नई खुदरा विक्रय कीमत वाले माल का विनिर्माण प्रारंभ होने की दशा में वह अधिकतम पैंकिंग गति, जिस पर पैंकिंग मशीनों का ऐसी नई खुदरा विक्रय कीमत वाले माल की पैकिंग के लिए प्रचालन किया जा सकता है” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) नियम 9 में,--

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि मार्च, 2015 मास के लिए संदेय मासिक शुल्क का संदाय 15 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व किया जाएगा ;”;

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह भी" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) नियम 17 में,--

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु ऐसे किसी विनिर्माता के परिसर में उपलब्ध पैंकिंग मशीनों की संख्या की गलत घोषणा अंतर्वलित करने वाले उल्लंघनों की दशा में, ऐसी अघोषित पैंकिंग मशीनों की बाबत शुल्क के दायित्वों का अवधारण इकाई के परिसर में उपलब्ध पाई गई अघोषित पैंकिंग मशीनों की कुल संख्या, ऐसी पैंकिंग मशीनों की सहायता से विनिर्मित पाउचों की अधिकतम खुदरा विक्रय कीमत तथा भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/2008-के.उ. तारीख 1 जुलाई, 2008 में यथाविनिर्दिष्ट है, उच्चतम अधिकतम पैंकिंग गति की तत्स्थानी प्रति पैंकिंग मशीन पर शुल्क की दर के आधार पर किया जाएगा ।"

(ख) उपनियम (2) में, "इकाई का परिसर" शब्दों से आरंभ होने वाले और "सिवाय" शब्द पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर "इकाई का परिसर, ऐसी पैंकिंग मशीनों की सहायता से विनिर्मित पाउचों की खुदरा विक्रय कीमत और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में अधिसूचना सं. 42/2008-के.उ. तारीख 1 जुलाई, 2008 में यथाविनिर्दिष्ट उच्चतम अधिकतम पैंकिंग गति के तत्स्थानी प्रति पैंकिंग मशीन पर शुल्क की दर और सिवाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vi) प्ररुप 1 में, पैरा 14 में "संख्या" शब्द के पश्चात् "प्रविष्टि (11) के अनुसार और ब्यौरे" शब्द, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vii) प्ररुप 2 में, प्रविष्टि 4 में,--

(क) मद (ii) में "प्रत्येक खुदरा विक्रय कीमत" शब्दों के पश्चात् "और वह अधिकतम पैंकिंग गति जिस पर ऐसी मशीनों का उस खुदरा विक्रय कीमत के अधिसूचित मालों की पैंकिंग के लिए प्रचालन किया जा सकता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(iv) विभिन्न शुल्कों के बीच प्रभाजन के लिए शुल्क के संदाय का अलग-अलग मूल्य नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार है :--

क्रम सं.	शुल्क	पान मसाला के लिए शुल्क का अनुपात	संदत्त शुल्क (रुपए में)	पान मसाला, जिसमें तंबाकू अंतर्विष्ट है, के लिए शुल्क का अनुपात	संदत्त शुल्क (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क	0.3556		0.814	
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	0.1333		0.0698	
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आकास्मिक आपदा शुल्क	0.5111		0.1162	
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0		0.0	

5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0		0.0”	

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 491(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा अधिसूचना सं. 30/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 22/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 457(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, किया गया था ।